

# न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा

राजस्थान सरकार जरिये  
पटवारी हल्का गजापुरा

बनाम

मुकदमा नंबर 30/2016


गैरसायल

श्री विक्रमसिंह, पुत्र हरिसिंह  
जाति राजपुत निवासी बिकनवास  
दिनांक:-13.10.2016

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गजापुरा व निरीक्षक भू.अ. जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा बिकनवास के खसरा नंबर 529 रकबा 0.48 हेक्टर किस्म गै.मु. मगरा में अनाधिकृतरूप से मकान मय कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नहीं किये, जिससे यह साबित होता है कि कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृतरूप कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत संवत 2073 में मौजा बिकनवास के खसरा, नंबर 529 रकबा 0.48 हेक्टर किस्म बा.प्र.अतिक्रमी घोषित किया जाकर व अतिक्रमित रकबे से भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं साथ ही भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3)के तहत अतिक्रमित रकबे का वार्षिक लगान 2.88 का 50 गुणा रू0 144/- अक्षरे एक सौ चौमालीस रुपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा पटवारी हल्का के अतिक्रमियों भौतिकरूप से बेदखल करने एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु जिखा जावे निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
तहसीलदार जसवंतपुरा  
तहसीलदार, जसवंतपुरा